

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-41/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00324)

1. गोविन्द पुत्र श्री डालूराम, जाति मीना, आयु.... वर्ष निवासी धोरीवतों की ढाणी, ऐयरपोर्ट के पास, सांगानेर जयपुर।
2. श्रीमती मूली देवी पत्नी स्व. श्री प्रभूनारायण, जाति मीना, आयु... वर्ष निवासी 284, पारवनाथ नगर, ऐयरपोर्ट के पास, सांगानेर, जयपुर।
3. सीताराम पुत्र श्री प्रताप जाति मीना आयु... वर्ष निवासी 212, पारवनाथ नगर, ऐयरपोर्ट के पास, सांगानेर, जयपुर।
4. छाजू पुत्र श्री रूघनाथ, जाति मीना, आयु.....वर्ष, निवासी 32, पारवनाथ नगर, ऐयरपोर्ट के पास, सांगानेर, जयपुर जरिये मुख्याराम श्री रामवतार शर्मा पुत्र श्री माधोलाल शर्मा आयु 52 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी प्लॉट नम्बर 46, मोहन नगर विस्तार दुर्गापुरा, जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर पता रामकिशोर व्यास भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. प्राधिकृत अधिकारी जोन-9 जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय रामकिशोर व्यास भवन, जे.एल.एन.रोड़, जयपुर।
3. देवप्रकाश मीना पुत्र श्री पंचूराम मीना, जाति मीना, निवासी मीना नर्सरी, प्रेमनगर कॉलोनी, सूर्य नगर तहसील सांगानेर, जयपुर।
4. सुभाष सिन्धी को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जरिये अध्यक्ष/मंत्री योगेश भटनागर, निवासी ए-3, जय अम्बे नगर टोंक रोड़, जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. उप पंजीयक प्रथम, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 03.06.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी जोन-9 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आदेश दिनांक 08.01.2018 (प्रकरण संख्या 12/2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 90क के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम बुद्धसिंहपुरा, पटवार हल्का श्योपुर, भू.अ.नि. क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि का खसरा नम्बर 69 रकबा 0.006 हैक्टर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 74 रकबा .15 हैक्टर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 0.59 हैक्टर के अभिलिखित खातेदार गोविन्द पुत्र डालू हिस्सा 1/6, मूलीदेवी पत्नी स्व. प्रभूनारायण हिस्सा 1/6, सीताराम पुत्र श्री प्रताप हिस्सा

P.T.O.

(2)

1/3, छाजु पुत्र रुघनाथ हिस्सा 1/3, जाति मीना है, जो अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज काश्त है तथा उक्त आराजी खसरा नम्बर की कृषि भूमि के पुराने नम्बर 37 व 38 थे जिनके खातेदार डालिया, प्रताप व रुघनाथ पुत्रान हुकमा थे। उन्होंने आगे कथन किया है कि उक्त भूमि के खातेदार गोविन्द पुत्र डालूराम, मूली देवी पत्नी प्रभूनारायण, सीताराम पुत्र श्री प्रताप, छाजू पुत्र रुघनाथ ने एक मुख्यारनामा श्री रामवतार शर्मा पुत्र श्री माधोलाल शर्मा, आयु 52, वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी 46, मोहन नगर विस्तार दुर्गापुरा के पक्ष में दिनांक 09.10.2017 को निष्पादित कर उनकी ओर से समस्त कानूनी कार्यवाहियों करने हेतु अधिकृत किया गया है एवं उक्त मुख्यारनामा पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक सांगानेर के यहाँ पंजीबद्ध करवाया गया है, मुख्यारनामा में वर्णित तथ्यों के अनुसार श्री रामावतार शर्मा को उक्त अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है इसलिये अपीलान्ट रामवतार शर्मा के हस्ताक्षरों से अपील प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त आराजी के खातेदारान ने अपने मुख्यारनामा के मार्फत उक्त आराजी खसरा नम्बरान के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2017 को गैर कृषि प्रयोजनार्थ कृषि भूमि के उपयोग की अनुज्ञा के लिये आवेदन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के तहत रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने आगे कथन किया है कि उपरोक्त खसरा नम्बर के समीपस्थ आराजी खसरा नम्बर 581, 583, से 586, 63, 64, 72, 73, 60/2, 65, 71 के खातेदारान द्वारा अपनी भूमि को सुभाष सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति को जरिये इकरारनामा हस्तान्तरित करने पर प्राधिकृत अधिकारी जोन-सी 2, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के यहाँ से प्रकरण संख्या 122/2000 के द्वारा दिनांक 28.02.2000 को 90 बी की कार्यवाही कर नामान्तरकरण रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के पक्ष में अंकित किया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि खातेदारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नागरिक सेवा केन्द्र दिनांक 12.10.2017 को रजिस्ट्रेशन नम्बर 302580 अंकित किया गया, खातेदारान द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेजात एवं चाही गई सम्पूर्ण शर्तों की पूर्ति की गई, तत्पश्चात् प्रकरण संख्या 12/2017 पर दर्ज किया गया तथा 1,20,000/- रूपये कन्वर्जन चार्ज जरिये चालान रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के खाते में जमा करने पर समाचार पत्र में प्रकाशन की लोक सूचना जारी की गई, पटवारी हल्का, तहसीलदार सांगानेर से रिपोर्ट प्रारूप संख्या 7 संविक्षा रिपोर्ट सहित तलब की गई। तत्पश्चात् रेस्पोजेन्ट संख्या 3 द्वारा उक्त आराजी खसरा नम्बरान की 90-ए नही करने बाबत एक आपत्ति प्रार्थना पत्र रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे प्रस्तुत करने का अधिकार आपत्तिकर्ता को नही था क्योंकि आपत्तिकर्ता ना तो पक्षकार है, ना ही कोई हितबद्ध व्यक्ति है तथा अपने प्रार्थना पत्र में उनके द्वारा कथन किया गया कि वह सात दिवस में साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर दिया गया, जिसकी मियाद निकलने के बाद रेस्पोजेन्ट संख्या 3 द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के समक्ष गलत तरीके से

P.T.O.

(3)

स्व.लिखित दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये तथा ऐसे फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजात व ऐसे दस्तावेज जिनका उक्त आराजी खसरा नम्बरान की भूमि से कोई सम्बन्ध व वास्ता तक नहीं था फिर भी गलत तरीके से उन्हे प्रस्तुत किया गया जिसके लिये अपीलार्थीगण को उक्त दस्तावेजात के खण्डन बाबत किसी प्रकार को कोई अवसर नहीं दिया गया तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 3 के नाजायज प्रभाव मे आकर रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा आपस में सांठ-गांठ कर अपीलान्ट के पक्ष में नोटशीट का अंकन करने के बावजूद गलत तरीके से नोट शीट अंकित करते हुये व गलत व फर्जी तथा नुमाईशी दस्तावेजों के आधार पर एवं दस्तावेजों की बिना कोई जांच पड़ताल किये ही गलत तरीके से अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र दिनांक 08.01.2018 को खारिज फरमा दिया गया है, जो आदेश विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्राधिकृत अधिकारी जोन-9 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित अपीलार्थीगण निर्णय दिनांक 08.01.2018 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, रिकार्ड एवं विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोजेन्ट संख्या 3 द्वारा बिना किसी हक एवं अधिकार के उपरोक्त वर्णित भूमि की 90-ए नहीं करने बाबत असत्य एवं आधारहीन कथन करते हुये आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसको पूर्णतया सत्य मानते हुये अपीलार्थीगण की बिना साक्ष्य लिये एवं बिना सबूत प्रस्तुत करने इत्यादि का अवसर दिया ही एकतरफा कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट के आवेदन को खारिज करने में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा भारी कानूनी भूल कारित की गई है, जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत होने व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजों की जांच करने के उपरान्त अपीलार्थीगण से कन्वर्जन चार्जेज के शुल्क जमा कर तहसीलदार एवं सहायक नगर नियोजन एवं कनिष्ठ अभियन्ता को मौका हेतु निर्देशित किया गया था जिसकी संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जिसमें स्पष्ट रूप से अंकन किया गया था कि प्रश्नगत भूमि आवाप्ति में नहीं है तथा भूमि पर कोई वाद लम्बित नहीं है एवं भूमि मौके पर पूर्णतया रिक्त है तथा आवेदित भूमि से गैर अनुमोदित योजना लगती है, उक्त रिपोर्ट के पश्चात् भी रेस्पोजेन्ट संख्या 3 द्वारा बिना हक व अधिकार के आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर उन्ही अधिकारियों द्वारा प्लॉटों के पत्थर के कोने व रोड़ के उत्तर में स्थित चिलगाडी रेस्टोरेन्ट का कब्जा प्रश्नगत भूमि पर दृष्टिगोचर होता है, गलत रूप से मिलीभगत कर व आपसी सांठ-गांठ कर अंकित कर दिया गया जबकि दोनों रिपोर्ट्स एक दूसरे की पूर्णतया विरोधाभाषी है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय देकर अपीलान्ट के आवेदन को खारिज करने में कानूनी भूल की है, वह निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 69, 70, 74, 75, 76, 77 की कृषि भूमि की

P.T.O.

(4)

90-ए करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पोजेन्ट संख्या 3 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि उक्त भूमि पर चीलगाड़ी रेस्टोरेन्ट चल रहा है जिनके नियमन की कार्यवाही चल रही है लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 31.07.2017 को रेस्पोजेन्ट संख्या 3 को विधिक नोटिस दिया गया था जिसमें चीलगाड़ी रेस्पोजेन्ट खसरा नम्बर 63, 64, 65, 73 में संचालित होना बताया है जो योजना स्कीम नम्बर 17 की है एवं उसका दिनांक 28.02.2000 को 90-बी का आदेश जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है लेकिन आज भी समिति द्वारा मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, चीलगाड़ी रेस्टोरेन्ट उसी योजना व खसरा नम्बर में स्थित है जिसकी ताईद देवप्रकाश ने वाद संख्या 13/2008 देवप्रकाश बनाम गोविन्द में प्रस्तुत की है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बगैर जांच किये ही मनमाना अपीलधीन आदेश पारित कर दिया है, जो काबिले निरस्त है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोजेन्ट द्वारा अंकन कराया गया कि उक्त वर्णित आराजीयात खसरा नम्बरान की भूमि रेस्पोजेन्ट संख्या 4 सुभाष सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड को जरिये इकरारनामा खातेदार डालू, प्रताप, रूघनाथ द्वारा बेचान किया हुआ है लेकिन रेस्पोजेन्ट संख्या 3 द्वारा कोई असल कागजात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किये गये बल्कि ऐसे फोटो कॉपी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिनका उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं था एवं जो फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज थे, ऐसे दस्तावेजों की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णरूपेण जांच की जानी चाहिये थी तथा अपीलान्त को ऐसे दस्तावेजों का प्रत्युत्तर व साक्ष्य, सबूत देने का मौका देना चाहिये था, साथ समिति की दिनांक 14.07.1987 से दिनांक 31.01.1999 तक की अंकित में स्पष्ट रूप से अंकन किया गया है कि समिति के पास उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के बाबत कोई अनुबन्ध पत्र नहीं है अर्थात् रेस्पोजेन्ट संख्या 3 ने फर्जी व नुमाईशी इकरारनामा फोटो प्रति अनरजिस्टर्ड पेश कर दिया जिसकी रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 को जांच करनी चाहिये थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोजेन्ट संख्या 3 से मिलीभगत के चलते बिना दस्तावेजात की जांच किये ही उक्त अपीलधीन आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है, जो काबिले निरस्त है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-9 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलधीन आदेश दिनांक 08.01.2018 को निरस्त फरमाया जावें तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 को अपीलार्थीगण की भूमि की 90-ए की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलधीन आदेश दिनांक 08.01.2018 विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्तस खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

P.T.O.

जनसमिती आयुक्ता
जयपुर

(5)

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 3 व 4 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि ग्राम बुद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर में स्थित साबिक खसरा नम्बर 33/0.15 बिस्वा, खसरा नम्बर 35/0.13 बिस्वा, खसरा नम्बर 37/0.13 बिस्वा, खसरा नम्बर 13/2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 340/0.03 बिस्वा, खसरा नम्बर 336/0.02 बिस्वा, खसरा नम्बर 338/0.01 बिस्वा, खसरा नम्बर 339/0.04 बिस्वा, खसरा नम्बर 38/1 बीघा 11 बिस्वा में से 6/2 बिस्वा भूमि को तत्कालीन खातेदार काशतकार डालू, प्रताप, रूगनाथ पुत्रान हुक्मा, जाति मीना निवासी ग्राम बुद्धसिंहपुरा तहसील सांगानेर द्वारा जरिये विक्रय इकरारनामा/प्रतिज्ञा पत्र दिनांक 19.04.1975 को सुभाष सिन्धी को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी जयपुर को विक्रय कर दी तथा मौके पर वास्तविक कब्जा सोसायटी को सुपुर्द कर दिया है, सुभाष सिन्धी को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी द्वारा खातेदारान को विक्रय प्रतिफल की राशि दिनांक 20.09.1980, 21.09.1980, 23.03.1981, 20.11.1980, 15.08.1981 को प्रदान की जिसकी प्राप्ति स्वरूप खातेदार द्वारा सोसायटी के पास पृथक-पृथक रसीदें अपने हस्ताक्षर गवाहान के समक्ष कर साक्ष्य, स्वरूप प्रदान की। उन्होने आगे कथन किया है कि सोसायटी द्वारा प्रतिवेदन के पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि के अलावा भी अन्य खातेदारान की खातेदारी भूमियाँ खसरा नम्बर 36, 40, 345, 346, 349 भी ग्राम बुद्धसिंहपुरा में क्रय की थी तथा सोसायटी द्वारा भूमि क्रय किये जाने के पश्चात् पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि में योजना संख्या-17 विकास नगर सांगानेर के नाम से योजना विकसित की तथा उक्त योजना में अपने आवंटियों को भूमि का आवंटन किया गया जिस पर आवंटी स्थाई निर्माण व पुख्ता निर्माण कर उपयोग-उपभोग करते आ रहे हैं, भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान पैरा संख्या 1 में वर्णित खसरा नम्बर 33/0.15 बिस्वा, खसरा नम्बर 35/0.13 बिस्वा, खसरा नम्बर 37/0.13 बिस्वा, खसरा नम्बर 13/2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 340/0.03 बिस्वा, खसरा नम्बर 336/0.02 बिस्वा, खसरा नम्बर 338/0.01 बिस्वा, खसरा नम्बर 339/0.04 बिस्वा, खसरा नम्बर 38/1 बीघा 11 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 59, 62, 62, 74, 75, 76, 234, 235, 236, 237, 624, 627, 626, 625, 626, 69, 70, 77, 70/613 बने हैं, राजस्व अभिलेखों में खातेदारान का नाम ही प्रविष्टि रहा क्योंकि तब तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त योजना की 90 बी नही की गई थी।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 3 व 4 ने कथन किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पैरा संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 581, 583, 584, 580, 63, 64, 72, 73, 60/21, 65, 71 कुल किता 12 कुल रकबा 3.35 हैक्टर की 90 बी की कार्यवाही कर दी गई तथा आवंटियों से नियमन हेतु आवेदन मय शुल्क प्राप्त कर लिया गया परन्तु शेष रहे खसरा नम्बरान की 90 बी की कार्यवाही निष्पादित नहीं हुई। उन्होने कथन किया है कि सुभाष सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा क्रय की गई भूमि में से कुछ भूमि ऐयरपोर्ट हेतु आवृत्ति की गई भूमि में से तथा कुछ भूमि 200 फीर रोड़ हेतु आवृत्ति की गई, विकास नगर योजना हेतु खसरा नम्बर 581, 583, 584, 580, 63, 64, 72, 73, 60/21, 65, 71 कुल किता 12

P.T.O.

बभोरा आयुक्ता
जयपुर

(6)

कुल रकबा 3.35 हैक्टर की भूमि की 90बी दिनांक 28.02.2000 को कर दी गई तथा ग्राम बुद्धसिंहपुरा के खसरा नम्बर 69, 70, 74, 75, 76, 77 के सम्बन्ध में आदेश पारित नहीं हो सका। उन्होंने आगे कथन किया है कि सुभाष सिन्धी गृह निर्माण सहकारी समिति के आवंटियों तथा आवंटियों के द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर क्रेता द्वारा भूखण्ड क्रय कर पुख्ता निर्माण उपयोग-उपभोग किया जा रहा है, रेस्पोजेन्ट अपनी भूमि पर चीलगाड़ी रेस्टोरेन्ट के नाम से रेस्टोरेन्ट स्थापित कर तथा सम्बन्धित लाईसेन्स नगर निगम लाईसेन्स, बिजली कनेक्शन टेलीफोन कनेक्शन लेकर ही रेस्टोरेन्ट प्रारम्भ कर दिया था तथा व्यवसायिक नियमन प्रक्रिया आज भी राज्य सरकार के पास लम्बित है। उन्होंने आगे कथन किया है कि 90बी कार्यवाही से वंचित रही भूमि के राजस्व अभिलेखों में पूर्व खातेदारों का नाम दर्ज रहा तथा उनके देहान्त हो जाने के पश्चात् उनके वारिसों द्वारा उक्त तथ्य की जानकारी कि पूर्व खातेदारान द्वारा भूमि का विक्रय सोसायटी को कर दिया गया है तथा भूमि पर सोसायटी के आवंटी काबिज है, होने के पश्चात् भी राजस्व अभिलेखों में राजस्व कर्मचारियों को धोखा देकर तथा तथ्यों को छिपाकर अपना नाम प्रविष्ट करवा लिया।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट संख्या 3 व 4 ने कथन किया है पूर्व खातेदारों के वारिसान गोविन्द पुत्र डालूराम, श्रीमती मूली देवी पत्नि स्व. प्रभूनारायण, सीताराम पुत्र प्रताप ने सभी तथ्यों को छिपाकर तथा अपराधिक षडयंत्र रचकर मिथ्या साक्ष्य बनाकर पूर्व में विक्रय की गई भूमि को अपने स्वामित्व व कब्जे की भूमि अंकित कर अपने पक्ष में 90ए कराने के उद्देश्य से जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी जानकारी होने के उपरान्त रेस्पोजेन्ट द्वारा समस्त तथ्य मय दस्तावेज जयपुर विकास प्राधिकरण के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की जिस पर जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर अपीलार्थीगण का धारा 90-ए का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2018 को निरस्त फरमा दिया गया है, जो विधि सम्मत है। अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट ने कथन किया है कि गोविन्द, मुन्नी, सीताराम द्वारा उक्त तथ्य की स्वीकृति उनके हक पूर्वा अधिकारियों द्वारा भूमि को पूर्व में ही विक्रय कर दिया गया था तदोपरान्त भी मिथ्या साक्ष्य देकर अपने पक्ष में नामान्तरकरण अंकित कराया है तथा प्रार्थना पत्र 90 बी का प्रस्तुत किया है तथा मिथ्या तथ्य अंकित कर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। उन्होंने आगे कथन किया है कि गोविन्द, मुन्नी सीताराम द्वारा आवंटियों व सोसायटी को दोष हानि पहुँचाने के उद्देश्य से राजस्व कर्मचारियों तथा जयपुर विकास प्राधिकरण को कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किये है, रेस्पोजेन्ट संख्या 3 के द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध दिनांक 05.12.2018 को थाना सांगानेर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है जो जैर अनुसंधान है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जो पक्षकार सत्य तथ्यों की जानकारी होने के पश्चात् भी तथ्यों को छिपाकर तथा मिथ्या तथ्यों पर कोई कानूनी कार्यवाही करता है तथा न्यायालय से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे पक्षकार को न्यायालय किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

P.T.O.

0

संक्रामिक आरु
जयपुर

(7)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है जबकि रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 के स्वामित्व की साबित होती ऐसी स्थिति में यदि वादग्रस्त आराजी में रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 व 4 के किसी प्रकार के हक हकूक अधिकार उन्हें जाहिर होते हैं तो इसके लिये उन्हें सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अपने अधिकारों की घोषणा करानी चाहिये। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि जब वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 का अपना स्वामित्व ही साबित नहीं है तो फिर उन्हें अपीलार्थीगण के हक व अधिकार की आराजी की 90ए की कार्यवाही के दौरान रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 को किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत करने का कानूनन अधिकार प्रदत्त नहीं है। चूंकि वादग्रस्त आराजी कृषि कार्य में काम नहीं आ रही है तथा आराजी के रिकार्डेड खातेदार द्वारा अपनी उक्त प्रश्नगत आराजी की 90क की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में केवल मात्र प्राप्त आपत्ति के आधार पर 90क की कार्यवाही को निरस्त नहीं किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2018 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-9 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण प्राधिकृत अधिकारी जोन-9 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्राप्त आपत्ति का न्यायिक विवेक से परीक्षण उपरान्त 90क की विधि सम्मत कार्यवाही करें।

(के0सी0वर्मा)

संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।